## महाराष्ट्र विज्ञान वर्धिनी आघारकर अनुसंधान संस्थान, गो.ग. आगरकर रास्ता, पुणे 411004 MACS' AGHARKAR RESEARCH INSTITUTE, G. G. AGARKAR ROAD, PUNE 411004

## आ.अ.सं पररसर में छात्रावास विनियम / HOSTEL REGULATIONS AT ARI CAMPUS

छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों से के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है/ All the occupants are expected to follow the hostel regulations: -

- 1. आवंटित कमरे में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को प्रशासन के पास उपलब्ध वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।/
  Before occupying the allotted room, each student must sign the undertaking available in Administration.
- 2. प्रदान की गई सूची के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा कमरे की सूची का विवरण सत्यापित किया जाना चाहिए।/ Details of room inventories must be verified by the students as per the list provided.
- 3. स्वीकार्य छात्रावास शुल्क का भुगतान निर्धारित समय के भीतर अग्रिम रूप से किया जाएगा। यदि आवंटी निर्धारित समय में शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता/रहती है, तो उस पर 10/- रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि शुल्क भुगतान में 3 माह से अधिक का विलम्ब होता है तो संस्थान आवंटी को बेदखल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा आवंटी को लंबित शुल्क/जुर्माने को अपने बकाये में से समायोजित करना होगा। छात्रावास के कमरे को खाली करते समय, लागू होने वाले छात्रावास शुल्क के अद्यतन भुगतान के संबंध में मंजूरी के साथ सभी सूची नामित अधिकारियों को सौंप दी जानी चाहिए।/ The admissible hostel fee shall be paid in advance within stipulated time. If allottees fail to pay a fee in the prescribed time the penalty may be enforced @10/- Rs. per day. If the delay in payment of fees is more than 3 months, the Institute reserve the right to evict the allottees and the allottees is to adjust the recovery of pending fee/penalty from their dues. While vacating the hostel room, all inventories must be handed over to the designated official(s) along with the clearance regarding up-to-date payment of hostel fees as applicable.
- 4. वर्तमान में, चूँिक परिसर में बिना किसी रेक्टर के छात्रावास का कमरा प्रदान किया जाता है, छात्रों को आत्मानुशासन बनाए रखना चाहिए ताकि किसी भी कारण से अन्य कमरे/छात्रावास के साथियों को कोई असुविधा न हो। अन्य आवंटियों से संबंधित शिकायतों की सूचना समन्वयक/संस्थान प्राधिकारियों को दी जा सकती है।
- 5. विद्यार्थियों/आवंटियों को रात 9.30 बजे के बाद संस्थान परिसर से बाहर नहीं रहना चाहिए। आपवादिक मामलों में, रूम-मेट को सूचना देने के अलावा संबंधित गाइड को पहले ही एक लिखित सूचना देनी होगी। आवंटियों/विद्यार्थियों को परिसर से निकलते और लौटते समय सुरक्षा द्वार पर रखे गए रजिस्टर में एक प्रविष्टि करनी चाहिए ताकि परिसर से उनकी अनुपस्थित सुनिश्चित की जा सके।/ The students/allottees must not remain away from the Institute campus, beyond 9.30 PM. In exceptional cases, a written intimation must be submitted to the concerned guide in advance apart from the intimation to the room-mate(s). Allottees / Students should make an entry in the register maintained at the security gate while leaving and returning to the campus so as to ascertain their absence from the campus.
- 6. छात्रावास के कमरों में किसी बाहरी आगंतुक को प्रवेश की अनुमित नहीं है।/ No outside visitors are allowed in to the Hostel Rooms.

- 7. खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए किसी भी हीटर की सख्त रूप से अनुमित नहीं है।/ Strictly no heater are allowed for cooking purposes.
- 8. संस्थान द्वारा प्रदान की गई वाशिंग मशीन का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, उपयोग के बाद पानी के नल और बिजली के स्विच को बंद कर देना चाहिए ताकि बर्बादी से बचा जा सके।/ Washing machines provided by the institute must be used carefully, after use water taps and electrical switches must be put off so as to avoid wastage.
- 9. अन्य साथियों को असुविधा से बचाने के लिए इकाई विद्यार्थियों को रात 11 बजे के बाद मनोरंजन कक्ष/टीवी कक्ष का उपयोग नहीं करना चाहिए।/ Students must not use the recreation room/TV room beyond 11 pm to avoid inconvenience to other mates.
- 10. कमरे के बाहर कोई कपड़ा नहीं टाँगना चाहिए। कपड़े के स्टैंड प्रदान किए जा रहे हैं जिनका उपयोग उचित स्थानों पर किया जाना चाहिए ताकि बाहर से द्रष्टव्य न हो।/ No clothes should be hanged outside the room. Cloth stands are being provided which should be used in appropriate places not to expose the visibility from outside.
- 11. आखिरी रूम-मेट द्वारा कमरे से बाहर निकलते समय लाइट/पंखे और अन्य बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए और अनावश्यक बर्बादी से बचने के लिए आवश्यक नहीं होने पर भी बंद कर देना चाहिए। पानी की खपत भी इस तरह होनी चाहिए कि नलों के लीकेज से भी अनावश्यक बर्बादी न हो। इस तरह के रिसाव की सूचना अभियांत्रिकी इकाई को तत्काल दी जानी चाहिए।/ Lights/fans and other electrical appliances must be put off while leaving the rooms by the last room-mate and also when not required so as to avoid unnecessary wastage. Consumption of water also should be made so as not to waste unnecessarily even through leakage of taps. Such leakages should be reported to the Engineering Unit forthwith.
- 12. छात्रावास में रहने वालों को अपने छात्रावास के साथियों के साथ अनावश्यक बातचीत, चर्चा, झगड़ा नहीं करना चाहिए। छात्रावास-साथी के विरुद्ध कोई भी शिकायत समन्वयक/संस्थान प्राधिकारियों के माध्यम से की जानी चाहिए। किसी के खिलाफ़ अपमानजनक/अभद्र और असंसदीय भाषा का प्रयोग सख्त वर्जित है।/ The hostel occupants should not enter into any unnecessary conversation, discussion, quarrel with their hostel mates. Any complaint against the hostel-mate should be made through the Coordinator / Institute Authorities. Use of abusive/vulgar and unparliamentarily language against anyone is strictly forbidden.
- 13. छात्रावास परिसर में धूम्रपान सख्त वर्जित है। किसी भी रूप में जुआ जैसे कि ताश खेलना (चाहे बिना पैसे दाँव पर लगाए), शराब का सेवन, ड्रग्स और नशीले पदार्थों का उपयोग और यहाँ तक कि ऐसी चीजों को अपने पास रखना भी प्रतिबंधित है। जो कोई भी ऐसी चीजों के उपयोग में लिप्त पाया जाएगा उसे न केवल छात्रावास खाली करने के लिए कहा जाएगा बल्कि संस्थान में आयोजित छात्रवृति/अध्येतावृत्ति से भी हटा दिया जाएगा।/ Smoking is strictly prohibited in the hostel premises. Gambling in any form such as playing cards (even without money at stake), consumption of alcohol, use of drugs and narcotics and even possession of such things are prohibited. Anyone found indulging in the use of such things shall not only be asked to vacate the hostel but also shall be removed from the studentship/fellowship held at the Institute.

- 14. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रूम-मेट के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें।/ Students are expected to maintain cordial relationships with the room-mates.
- 15. रहने वालों को अपना बहुमूल्य सामान (अर्थात् आभूषण, आदि) छात्रावास के कमरों में नहीं रखना चाहिए। इस तरह के कीमती सामान के नुकसान के लिए संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।/ Occupants should not keep their valuables (viz. Ornaments etc.) in hostel rooms. The Institute shall not be held responsible for the loss of such valuables whatsoever.
- 16. रहने वालों को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी आधार पर रूम पार्टनर बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। संस्थान आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संख्या में विद्यार्थियों को कमरे में आवंटित कर सकता है।/ Occupants should note that no change of room partners shall be allowed on any ground whatsoever. If needed, the Institute may allot additional numbers of students in the room when required.
- 17. यदि छात्रवृति/अध्येतावृत्ति को किसी कारणवश समाप्त कर दिया जाता है, तो रहने वाले को संस्थान के अधिकारियों के विवेक पर एक उचित समय सीमा के भीतर छात्रावास का कमरा खाली करना होगा। पीएचडी थीसिस जमा करने के बाद विद्यार्थी को छात्रावास के सभी बकाया राशि, आदि को चुका कर छात्रावास का कमरा खाली कर देना चाहिए। संस्थान प्राधिकरण के अनुमोदन से ही लंबित / शेष शोध कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से छात्रावास में रहने की अनुमित दी जा सकती है।/ If the studentship/fellowship is terminated on any ground, the occupant has to vacate the hostel room within a reasonable time limit at the discretion of the Institute Authorities. Students after submission of Ph.D. thesis should vacate the hostel rooms after clearing all hostel dues etc. and continuation may be permitted subject to the approval of the Institute Authority for the purpose of completion of pending / remaining research work.
- 18. किसी भी विद्यार्थी द्वारा उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने पर कमरे का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे मामलों में विद्यार्थी को प्राधिकरण के विवेक पर किसी सूचना के बिना कमरा खाली करना पड़ सकता है।/ Any violation of the above rule(s) by any student shall entail cancellation of allotment of room and in such cases, the student may have to vacate the room without any notice at the discretion of the Authority.
- 19. संस्थान के पास छात्रावास में रहने की अनुमित देने का अधिकार और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से तुरंत **या** पूर्व सूचना देकर कमरा/छात्रावास खाली करवाने का अधिकार सुरक्षित है और इसके विरुद्ध किसी भी छात्र/आवंटी द्वारा कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है। संस्थान/प्राधिकारियों का निर्णय सभी आवंटियों पर लागू होगा।/ The institute reserves the right to allow hostel accommodation OR vacate the room/hostel by giving prior notice to an occupant OR immediately for any unavoidable reasons and no petition can be made against this by any student/allottees. The Institutes/Authorities' decision will be applicable to all allottees.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*